

न्यायालय जिला कलेक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी- श्री रोहिताश्व सिंह तोमर आई०ए०एस०

प्रकरण संख्या- 1/2018

बउनवान

1. गुरुजन्तसिंह पुत्र निधानसिंह जाति जाट सिक्ख निवासी अंता तहसील अंता जिला बारां (राज०)
2. इन्द्रजीतसिंह पुत्र गुरुजन्तसिंह जाति जाट सिक्ख निवासी अंता तह० अंता जिला बारां (राज०)

(प्रार्थीगण)

बनाम

1. भूमि अवाप्ति अधिकारी बारां तत्कालीन उपखण्ड अधिकारी श्री हरफुलसिंह यादव हाल
2. भूमि अवाप्ति अधिकारी बारां
3. महाप्रबन्धक एन.टी.पी.सी. अंता
4. शासन उपसचिव उर्जा विभाग शासन सचिवालय जयपुर
5. तहसील अंता तत्कालीन तहसीलदार मानसिंह मीना हाल....

(अप्रार्थीगण)

रेफरेंस अन्तर्गत धारा 18 भूमि अर्जन अधिनियम 1894 की धारा 18 एवं 28 क एवं 30 व 31 के तहत विरुद्ध संशोधित अर्वाड 20-6-2002 जो 28-8-2002 को स्वीकृत हुआ राशि 72113735 रुपये भूमि अवाप्ति अधिकारी बारां द्वारा भूमि अवाप्ति एन.टी.पी.सी अंता विस्तार द्वितीय चरण

उपस्थिति :- 1. श्री ओम भारद्वाज अभिभाषक

(प्रार्थीगण)

2. श्री रमेश चन्द गोयल अभिभाषक

(अप्रार्थीगण)

आदेश दिनांक- 30/12/2024


प्रार्थीगण ने जयें अभिभाषक प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया कि प्रार्थी कम 1 के खाते की आंराजी खसरा नं० 456 रकबा 0.48 हेक्टे० तथा खसरा नं० 461 रकबा 0.40 हेक्टे० कुल क्षेत्रफल 0.88 हेक्टे० भूमि कस्बा अंता में स्थित है जिसका प्रार्थी कम 1 खातेदार है। इस भूमि के बाबत दिनांक 24-10-2000 को भूमि अवाप्ति अधिकारी बारां ने एवाड जारी कर राज्य सरकार से स्वीकृत करवाया गया है इस अवाड में 95832 वर्गफुट भूमि में से 51544 वर्गफुट भूमि को आवासीय प्रयोजन हेतु बेचान किया जाना प्रदर्शित किया गया है तथा शेष भूमि खाली पडी हुई बताई गई है वह 44288 वर्गफुट अंकित की गई है इस प्रकार आवासीय उपयोग हेतु बेची गई 51544 वर्गफुट भूमि 50.00 रुपये प्रतिवर्ग फुट की दर से 2577200 रुपये व सेलिसियम राशि एवं अन्य राशि एवं धारा 23 (क) का लाभ देते हुये कुल राशि 5741911 रुपये दिये जाने हेतु अवाड पारित किया गया था तथा शेष खाली पडी भूमि 44288 फुट भूमि की दर से 25 रुपये प्रतिवर्ग फुट की दर से सेलिसियम राशि व धारा 23 (क) का लाभ देते हुये कुल 1671872 रुपये प्रार्थी कम 1 हितधारी की बची हुई भूमि मानकर दिये जाने बाबत अवाड पारित किया गया है जो राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत किया गया था। उक्त अवाड स्वीकृत होने के उपरांत तत्कालीन भूमि अवाप्ति अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी बारां श्री हरफुलसिंह यादव ने दिनांक 24-10-20000 एवाड लिपिकीय त्रुटि बताकर दिनांक 20-6-2002 का अवाड राज्य सरकार से प्रार्थी का रेफरेंस चलते हुये के दौरान जिला कलेक्टर महोदय बारां को भिजवाते हुये राज्य सरकार से संशोधित अवाड पारित करवाया है जो मिथ्यापूर्ण एवं प्रार्थी के हितो पर कुप्रभाव डालने वाला है। विवादित अवाड दिनांक 20-6-2002 को राज्य सरकार द्वारा 28-8-2002 को स्वीकृत हुआ है जिसके पूर्व मूल स्वीकृत शुदा एवाड दिनांक 24-10-2000 को संपूर्ण परिवर्तित कर दिया गया जबकि वैधानिक तौर पर मूल एवाड में मात्र लिपिकीय या गणना की त्रुटि को ही शुद्ध किया जा सकता है। जबकि तत्कालीन उपखण्ड अधिकारी हरफुलसिंह ने एन.टी.पी.सी. में अधिकारियों के प्रभाव एवं प्रलोभन में आकर प्रार्थी हितधारी के हितो पर कुठाराघात करते हुये मूल एवाड में नये सिरे से संशोधन कर प्रार्थी हितधारी को मिलने वाली राशि को निम्नांकित व्यक्तियों के नाम संशोधित एवाड में जारी कर भुगतान कर दिया गया है तथा राज्य सरकार के आदेशो की अवैहलना की है। संशोधित एवाड जारी करने से पूर्व प्रार्थी हितधारी को कोई सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया है तत्कालीन उपखण्ड अधिकारी हरफुलसिंह यादव ने हितधारी गुरुजन्तसिंह को अनपढ मानकर एन.टी.पी.सी. में अधिकारियों से

Guh
जिला कलेक्टर
बारां (राज०)

निलीभगत कर एक तरफा संशोधित अवाई दिनांक 20-6-2002 को 28-8-2002 को स्वीकृत करवाया है जो वैधानिक न होकर स्वेच्छाचारिता का परिचायक है एवं मूल अवाई 24-10-2000 में निम्न व्यक्तियों के नाम नहीं होते हुये भी निम्न नाम संशोधित अवाई में जोड़े गये हैं जो इस प्रकार हैं

- 1- रामदयाल पुत्र पन्नालाल बैरवा प्रकरण सं० 52/2000 रकबा 420 वर्गफुट राशि 31710 रुपये को गलत रूप से भुगतान की गई। प्रार्थी को सुनवाई का अवसर नहीं दिया।
- 2- मोहम्मद शफी पुत्र गफुरखां जाति मुसलमान निवासी अंता प्रकरण संख्या 51/2000 रकबा 900 वर्गफुट राशि 67950 रुपये इस प्रकरण में प्रार्थी हितधारी खातेदार को सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया गया जो पुनरावलोकन योग्य है।
- 3- संतोष कुमार पुत्र नवरतन लाल प्रकरण सं० 56/2000 रकबा 900 वर्गफुट राशि 67950 रुपये भुगतान किया गया इस प्रकरण में प्रार्थी हितधारी को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया जो पुनरावलोकन योग्य है।
- 4- प्रशांत भारद्वाज निवासी अंता 58/2000 रकबा 1800 वर्गफुट राशि 135900 रुपये भुगतान किये इस प्रकरण में हितधारी को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया पुनरावलोकन योग्य है।
- 5- चन्द्रप्रकाश पुत्र सीताराम मेहर निवासी अंता प्रकरण संख्या 59/2000 रकबा 600 वर्ग फुट राशि 45300 रुपये भुगतान किये जो त्रुटिपूर्ण है प्रार्थी हितधारी को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया।
- 6- अमीर मौहम्मद पुत्र हसन अली मुसलमान निवासी अंता प्रकरण संख्या नील रकबा 900 वर्गफुट राशि 67950 रुपये भुगतान किया इस प्रकरण में प्रार्थी हितधारी को नहीं सुना गया संशोधित अवाई में गलत नाम जोड़ा गया।
- 7- श्रीलाल पुत्र मांगीलाल राठी निवासी बरखेडा मुस्ताक अली पुत्र अब्दुल मजीद मुसलमान निवासी भोज्याहेडी रकबा 900 वर्गफुट राशि 67950 रुपये भुगतान किये गये जो गलत है प्रार्थी हितधारी को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया।
- 8- मुसफीक अहमद अंसारी पुत्र अब्दुल मजिद अंसारी निवासी मांगरोल दरवाजा शाहबाद वार्ड बारां 900 वर्ग फुट राशि 67950 रुपये भुगतान किये जो त्रुटिपूर्ण है प्रार्थी हितधारी को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया।
- 9- जाहिदा पत्नी अब्दुलहक जाति मुसलमान निवासी अंता को अब्दुल लतीफ पुत्र अब्दुलगनी मुसलमान निवासी अंता ने बेचान किया 900 वर्गफुट भूमि राशि 67950 रुपये भुगतान किये गये थे त्रुटिपूर्ण है प्रार्थी हितधारी को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया।
- 10- अब्दुल लतीफ पुत्र कल्लूखा जाति मुसलमान निवासी अंता रकबा 3000 वर्गफुट राशि 226503 रुपये भुगतान किया है जो त्रुटिपूर्ण है प्रार्थी हितधारी को नहीं सुना गया।
- 11- रामनारायण विजयवर्गीय प्रकरण सं० 48/2000 रकबा 1800 वर्गफुट राशि 135900 रुपये भुगतान किया गया जो त्रुटिपूर्ण है प्रार्थी हितधारी को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया।
- 12- नरवरसिंह पुत्र करणसिंह मि० नं० 31/अ/2000 रकबा 450 वर्गफुट राशि 69340 रुपये भुगतान किये गये जो त्रुटिपूर्ण है प्रार्थी हितधारी को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया।

हितधारी की अवाप्तशुदा भूमि में अवाप्ति के पूर्व हितधारी श्री गुरुजन्तसिंह द्वारा मुर्गी पालन का व्यवसाय कर जिविकोपार्जन किया जाता था भूमि अवाप्ति अधिकारी ने संशोधित अवाई में अवाप्तशुदा भूमि के व्यवसायिक प्रयोजन में कार्य में आने वाली न मानकर खाली भूमि मानकर मुआवजा तय किया गया है जो अवैधानिक एवं हितधारी के हितों पर कुठाराघात है उक्त अंकन की पुष्टी हेतु कार्यालय नगरपालिका अंता का पत्र क्रमांक 1428 दिनांक 3-11-89 संलग्न है जिसमें अवाप्त भूमि को व्यवसायिक प्रयोजन हेतु माना गया है। हितधारी की अवाप्त भूमि पर तत्समय मौके पर बेश कीमती पेड खड़े हुये थे जिसका सम्बन्धित विभाग से मूल्यांकन कर तहसीलदार अंता को पत्र क्रमांक भू०/अ०/4053 दिनांक 21-7-2004 की रिपोर्ट अनुसार पेड पौधों की मुआवजा राशि का मूल्यांकन 29450 रुपये माना गया था। संशोधित अवाई में उक्त राशि को संयोजित न कर हितधारी को नुकसान पहुंचाया गया है। मूल अवाई दिनांक 24-10-2000 में तत्कालीन भूमि अवाप्ति अधिकारी श्री हरफुलसिंह यादव ने संशोधित अवाई दिनांक 20-6-2002 में भी निम्न प्रकार तहसीलदार अंता श्री मानसिंह मीणा द्वारा मौका रिपोर्ट अधूरी एवं कूटरचित छल पूर्वक भिजवाई गई उनका विरोध दिनांक 31-3-2015 को पटवारी रिपोर्ट अंता में किया गया है इस प्रकार विरोधाभास होने से हितधारी श्री गुरुजन्तसिंह को अवाप्त भूमि का मुआवजा नहीं मिल


जिला कलक्टर
बारां (राज०)





चाया है। हितधारी को बेरोजगार कर दिया गया तथा बेरोजगार एवं भूमिहीन होते हुये भी धारा 23 का कोई लाभ न देकर हितधारी के परिवार के साथ खिलवाड किया गया है। तत्कालीन भूमि अवाप्ति अधिकारी हरफूलसिंह द्वारा मूल अवार्ड में हितधारी गुरुजन्तसिंह द्वारा अवाप्त भूमि के सम्बन्ध में इकरार नामे के आधार पर बेचान किये केता को हितधारी द्वारा सहमति देने के उपरांत हितधारी को नही सुना जाकर संपूर्ण मूल्यांकन राशि को सम्बन्धित केता को भुगतान करने की अनियमितता की गई है हितधारी को सुना जावे। तत्समय के भूमि अवाप्ति अधिकारी हरफूलसिंह यादव द्वारा केतागण को मुआवजा राशि भुगतान करते समय हितधारी को न्यायालय में नही सुना गया न ही कोई इस बाबत सूचना दी गई जो अवैधानिक है। हितधारी की अवाप्तशुदा भूमि नगरपालिका अंता की आबादी क्षेत्र में मास्टर प्लान के अन्तर्गत दिखाई गई है यह भूमि रेल्वे स्टेशन के सामने व व्यवसायिक अनाज मण्डी के सामने स्थित है जिसकी तत्समय डी.एल.सी. रेट 275 रुपये प्रति वर्गफुट की दर से रजिस्ट्री की जाती थी। इस प्रकार हितधारी को 275 रुपये प्रतिफुट की दर से मुआवजा दिया जाना अपेक्षित था जो नही दिया गया। संशोधन अवार्ड में भी यह संशोधन करते समय तत्कालीन भूमि अवाप्ति अधिकारी श्री हरफूलसिंह यादव को इस बिन्दु को देखना चाहिये था जो जानबूझकर नहीं देखा गया तथा प्रार्थी को नुकसान पहुंचाया जो दिलाया जावे। हितधारी को अवाप्त शुदा भूमि में भूखण्डों से काटी गई टुकडो व कोणों की अवशेष भूमि 3230 वर्गफुट भूमि का मुआवजा नहीं दिया गया इस बिन्दु को न्यायालय भूमि अवाप्ति अधिकारी (उपजिला कलेक्टर बारां) के निर्णय दिनांक 31-7-2008 में भी अंकित किया गया है तथा उक्त भूमि का मुआवजा भुगतान करने की अनुशंषा पटवार मण्डल अंता दिनांक 31-3-2015 में भी की गई है जो 50 रुपये प्रतिवर्गफुट की दर से मय सेलिसियम एवं 15 प्रतिशत ब्याज से 646000 रुपये बनते है जो हितधारी को आज दिनांक तक भुगतान नहीं किया गया है अतः हितधारी उक्त राशि प्राप्त करने का अधिकारी है जो दिलाई जावे। हितधारी एवं कुटुम्ब को भूमि अर्जन पुनर्वासि और पुनर्स्थापना में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिनियम 2013 की परिभाषा के परिप्रेक्ष्य में हितधारियों व प्रभावित कुटुम्ब को लाभ दिलवाये जाने के आदेश प्रदान करे। उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता है कि संशोधित अवार्ड दिनांक 20-6-2002 में मूल अवार्ड 24-10-2000 में लिपिकीय त्रुटि की दुरुस्त नही कर मूल अवार्ड के स्वरूप में ही परिवर्तन कर तत्कालीन भूमि अवाप्ति अधिकारी श्री हरफूलसिंह यादव ने स्वेच्छाचारिता करते हुये प्रार्थी हितधारी को बिना सुनवाई कर मनमाना संशोधित अवार्ड 20-6-2002 में धोखे से प्रपत्र 3 नक्शाजात पर राज्य सरकार से स्वीकृति प्राप्त की है। प्रार्थी हितधारी द्वारा तत्कालीन भूमि अवाप्ति अधिकारी हरफूलसिंह एवं सम्बन्धित अधिकारियों के विरुद्ध भूमि अधिग्रहण न्यू एक्ट सन 2013 के तहत धारा 85 एवं 86 के परिप्रेक्ष्य में न्यायालय मुसिफ मजि० अंता के यहां इस्तगासा पेश किया हुआ है जो वर्तमान में विचाराधीन है। उपरोक्त तथ्यों पर भूमि अर्जन अधिनियम 1894 की धारा 13 (क) का उल्लंघन मानकर हितधारी के रेफरेंस को संशोधित अवार्ड दिनांक 20-6-2002 की पुनरावलोकन एवं विधिसंगत कार्यवाही हेतु सक्षम अधिकारी एवं न्यायिक अधिकारी के समक्ष संशोधित अवार्ड दिनांक 20-6-2002 को निरस्त करने हेतु भिजवाये जाने की कृपा करे।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर नियमानुसार दर्ज रजिस्टर कर, अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थी क्रम 3 की ओर से जर्गे अभिभाषक जवाब इस आशय का पेश हुआ कि कार्यवाही गलत है एवं निरस्त होने योग्य है। कार्यवाही अवधि मध्य प्रस्तुत नहीं की गई है। धारा 18 भूमि अर्जन अधिनियम 1894 के अनुसार कार्यवाही धारा 12 (2) में अवार्ड पास होने की सूचना प्राप्त होने के अन्तर्गत 42 दिन या 6 माह में की जा सकती है। अवार्ड 2002 का है तथा यह कार्यवाही 2018 के आसपास की है इसलिये कार्यवाही अवधि मध्य नहीं होने से निरस्त होने योग्य है। एन.टी.पी.सी. अन्ता के लिये अनेक भूमिया अवाप्ति अधिकारी के जर्गे अवाप्त की गई थी जिसमें विवादित आराजी खसरा नं० 456 रख्या 0.48 हैक्टर तथा खसरा नंबर 461 रकबा 0.40 हैक्टर कुल रकबा 0.88 हैक्टर कस्बा अन्ता की भी अधिग्रहण की गई थी इस भूमि के सम्बन्ध में अवार्ड दिनांक 20-6-2002 को पारित हुआ तथा 28-8-2002 को सरकार से स्वीकृति हुआ या जिसके विरुद्ध गुरुजन्त सिंह ने कलेक्टर साहब बारां के यहा धारा 18 भूमि अर्जन अधिनियम 1894 के अन्तर्गत रेफरेन्स करने हेतु कार्यवाही पेश की थी जिसे मुआवजा राशी निधारित करने के लिये रेफरेन्स न्यायालय जिला जज बारां को धारा 23 व 24 भूमि अर्जन अधिनियम 1894 में भिजवाया था जिन्होंने अपने निर्णय दिनांक 31-12-2007 से 50/- रुपये प्रति वर्ग फीट से मुआवजा राशी दिये जाने का निर्णय दिया था जिसके विरुद्ध श्री गुरुजन्तसिंह ने

Gahi
जिला कलेक्टर
बारां (उप०)

विरुद्ध अन्य कई मुकदमे भी किये हुये थे। हाईकोर्ट में कार्यवाही लम्बित रहने के दौरान दोनों पक्षों में आपसी सहमति से समझौता हुआ जिसकी लिखावट दिनांक 3.4.2013 को हुयी। इस समझौते प्रपत्र में यह अंकित है कि समस्त लम्बित प्रकरण वापस ले लिये जावेंगे एवं श्री गुरुजन्तसिंह द्वारा भविष्य में उक्त भूमि के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार का कोई वाद प्रकरण किसी भी न्यायालय में एन.टी.पी.सी. अन्ता के विरुद्ध पेश नहीं किये जायेंगे। हाईकोर्ट में उक्त राजीनामा पेश हुआ जिसे स्वीकार कर दोनों पक्षों ने अपनी रिट पिटीशन वापस ली जिसके बाबत मान्य राज० हाईकोर्ट का आदेश 23-11-2015 हुआ। गुरुजन्तसिंह को समस्त मुजावना राशी प्राप्त हो चुकी है इसलिये वह अब यह कार्यवाही करने से निरुद्ध है। धारा 18 भूमि अर्जन अधिनियम के तहत कार्यवाही पूर्व में श्री गुरुजन्तसिंह कर चुका है इसलिये पुनः कार्यवाही नहीं की जा सकती है। श्री गुरुजन्त सिंह ने इसी तरह ब्याज प्राप्त करने को कार्यवाही भूमि अवाप्ति अधिकारी बारां के यहां भी की हुयी है। वह भी निरस्त होने योग्य है। भूमि अर्जन अधिनियम 2013 के प्रावधान इस प्रकरण पर लागू नहीं होते हैं। गुरुजन्तसिंह इस तरह की कार्यवाहिया करने का आदि है जबकि पूर्ण मुजावना राशी प्राप्त कर चुका है तथा हाईकोर्ट में राजीनामा पेश कर उसके तहत रिट वापस ले चुका है। उक्त जवाब के अतिरिक्त श्री गुरुजन्तसिंह ने अपने प्रार्थना पत्र की मद नं० 1 ता 15 में जो तथ्य अंकित है वे सभी अस्वीकार है। अतः जवाब पेश कर निवदेन है कि कार्यवाही मय खर्चा खारिज की जावे।



हमने बहस उभयपक्ष विद्वान अभिभाषकगण एवं प्रार्थी की सुनी। दौराने बहस प्रार्थी स्वंग एवं अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी को मुआवजा निर्धारित दर (डी.एल.सी. अनुसार) 275/- रुपये प्रति वर्गफीट से ना देकर मनमानी दर से दिया गया है, तथा सेलिसियम एवं ब्याज की राशि का भी प्रार्थी को भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा भुगतान नहीं किया गया। हितधारी को अवाप्त शुदा भूमि में भूखण्डों से काटी गई टुकडो व कोणो की अवशेष भूमि 3230 वर्गफुट भूमि का मुआवजा नहीं दिया गया। हितधारी एवं कुटुम्ब को भूमि अर्जन पुनर्वास ओर पुर्नस्थापना में उचित प्रतिकर ओर पारदर्शिता का अधिनियम 2013 की परिभाषा के परिप्रेक्ष्य में हितधारियो व प्रभावित कुटुम्ब को लाभ दिलवाये जाने के आदेश प्रदान करे। अतः भूमि अर्जन अधिनियम 1894 की धारा 13 (क) का उल्लंघन मानकर हितधारी के रेफरेंस को संशोधित अवार्ड दिनांक 20-6-2002 की पुनरावलोकन एवं विधिसंगत कार्यवाही हेतु सक्षम अधिकारी एवं न्यायिक अधिकारी के समक्ष संशोधित अवार्ड दिनांक 20-6-2002 को निरस्त करने हेतु भिजवाये जाने की कृपा करे। अपने कथन के समर्थन में प्रार्थी एवं अभिभाषक प्रार्थी ने विधिक दृष्टांत (1966) AIR(SC) 237; (1965) 2 AnWR 29; (1966) ILR (Patna) 651; (1966) 5 LawRep 470; (1965) 2 MLJ 29; (1965) 2 SCA 801; (1966) SCD 53; (1965) 2 SCJ 404; (1965) 3 SCR 576, AIR 1989 PUNJAB AND HARYANA 95; 1988 REV LR 22, AIR 1988 GUJARAT 223, AIR 1979 GUJARAT 192, AIR 1996 ORISSA 59; (1995) CIVLJ 707, AIR 1958 MADHYA PRADESH 339; 1957 MPLJ 820, AIR 1972 PATNA 482, (1984) AIR (Karnataka) 157, AIR 1973 PATNA 146 (V 60 C 50) की छायाप्रतियां पेश की तथा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का कथन किया।

दौराने बहस अभिभाषक अप्रार्थी ने जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि कार्यवाही अवधि मध्य प्रस्तुत नहीं की गई है। धारा 18 भूमि अर्जन अधिनियम 1894 के अनुसार कार्यवाही धारा 12 (2) में अवार्ड पास होने की सूचना प्राप्त होने के अन्तर्गत 42 दिन या 6 माह में की जा सकती है। अवार्ड 2002 का है तथा यह कार्यवाही 2018 के आसपास की है इसलिये कार्यवाही अवधि मध्य नहीं होने से निरस्त होने योग्य है। विवादित आराजी खसरा नं० 456 रख्या 0.48 हैक्टर तथा खसरा नंबर 461 रकबा 0.40 हैक्टर कुल रकबा 0.88 हैक्टर कस्बा अन्ता की भी अधिग्रहण की गई थी इस भूमि के सम्बन्ध में अवार्ड दिनांक 20-6-2002 को पारित हुआ तथा 28-8-2002 को सरकार से स्वीकृति हुआ या जिसके विरुद्ध प्रार्थी ने इस न्यायालय में कार्यवाही पेश की थी जिसे मुआवजा राशी निर्धारित करने के लिये रेफरेंस न्यायालय जिला जज बारां को धारा 23 व 24 भूमि अर्जन अधिनियम 1894 में भिजवाया था जिन्होंने अपने निर्णय दिनांक 31-12-2007 से 50/- रुपये प्रति वर्ग फीट से मुआवजा राशी दिये जाने का निर्णय दिया था जिसके विरुद्ध उभयपक्ष ने हाईकोर्ट में रिट पिटीशन की हाईकोर्ट में कार्यवाही लम्बित रहने के दौरान दोनों पक्षों में आपसी सहमति से समझौता

Guh
जिला कलेक्टर
बारां (रख०)


हुआ जिसकी लिखावट दिनांक 3.4.2013 को हुयी। इस सम्झौते प्रपत्र में यह अंकित है कि समस्त लिखित प्रकरण वापस ले लिये जावेंगे एवं श्री गुरुजन्तसिंह द्वारा भविष्य में उक्त भूमि के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार का कोई वाद प्रकरण किसी भी न्यायालय में एन.टी.पी.सी. अन्ता के विरुद्ध पेश नहीं किये जावेंगे। हाईकोर्ट में उक्त राजीनामा पेश हुआ जिसे स्वीकार कर दोनों पक्षों ने अपनी रिट पिटीशन वापस ली जिसके बाबत मान्य राज० हाईकोर्ट का आदेश 23-11-2015 हुआ। प्रार्थी को समस्त मुजावना राशी प्राप्त हो चुकी है इसलिये वह अब यह कार्यवाही करने से निरुद्ध है। धारा 18 भूमि अर्जन अधिनियम के तहत कार्यवाही पूर्व में प्रार्थी कर चुका है इसलिये पुनः कार्यवाही नहीं की जा सकती है। प्रार्थी इस तरह की कार्यवाहियां पेश करने का आदि है जबकि पूर्ण मुजावना राशी प्राप्त कर चुका है तथा हाईकोर्ट में राजीनामा पेश कर उसके तहत रिट वापस ले चुका है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे। अपने कथन के समर्थन में अभिभाषक अप्रार्थी ने विधिक दृष्टांत 1996 DNJ (SC) 88 की छायाप्रति पेश की।

हमने बहस उभयपक्ष पर मनन किया। सम्पूर्ण पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में अवाप्त भूमि की मुआवजा राशि निर्धारित डी.एल.सी. दर से तय नहीं कर मनमानी दर से तय किया जाना बताया है तथा उक्त मुआवजा नगण्य होने से मुआवजे के न्यायोचित निर्धारण हेतु धारा 18 भूमि अवाप्ति अधिनियम के तहत जिला जज, बारां को रेफर करने की प्रार्थना की है। विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी का यह कथन सही है कि अवार्ड जारी होने के 6 सप्ताह के अन्दर रेफरेन्स प्रार्थीगण को पेश करना चाहिये था जबकि अवार्ड दिनांक 20.06.2002 को पारित हुआ तथा 28-8-2002 को सरकार से स्वीकृति हुआ जिसके विरुद्ध प्रार्थी ने यह रेफरेन्स 13.08.2018 को 16 वर्ष की अवधि पश्चात पेश किया गया है। प्रार्थी ने प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में नगर पालिका अन्ता द्वारा प्रेषित रिपोर्ट के आधार पर अवार्ड पारित करते समय कोई गौर नहीं किया जाना अंकित किया है परन्तु ऐसी कोई रिपोर्ट पत्रावली में संलग्न नहीं की है। प्रार्थी ने अवाप्तशुदा भूमि पर प्रार्थी द्वारा लगाये गये पेड़ों का भी अवार्ड में मुआवजा नहीं दिया जाना प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में अंकित किया है परन्तु ऐसा कोई दस्तावेज पत्रावली में प्रस्तुत नहीं किया है जिससे साबित हो कि अवाप्तशुदा भूमि पर प्रार्थी द्वारा लगाये हुए पेड़ स्थित हों। प्रार्थी ने तत्कालीन भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा अवार्ड को चेंज करना प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में अंकित किया है परन्तु इससे संबंधित भी कोई दस्तावेज पत्रावली में पेश नहीं किया है। अभिभाषक अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत विधिक दृष्टांत 1996 डीएनजे (एससी) 88 के अनुसार Land Acquisition Act, 1894- Sec -18(1),18(2) Proviso and 29(2) and Limitation Act- Sec. 5- Powers of Collector for extending period of limitation - While exercising Powers u/s. Powers u/s 18(1) is not the Court within the meaning of C.P.C., Sec. 5 Limitation Act cannot be applied for extension of limitation. यह प्रकरण 16 वर्ष बाद प्रार्थीगण द्वारा पेश किया गया है। अतः delay condon नहीं की जा सकती है। भूमि अवाप्ति अधिनियम, 1894 की धारा 18 (1) के अनुसार Any person interest who has not accepted the award may, by written application to the collector, require that the matter be referred by the collector for the determination of the court whether his objection be to the measurement of the land, the amount of the compensation the persons to whom it is payable, or the apportionment of the compensation among the persons interested. इस न्यायालय द्वारा अवार्ड की वैधानिकता तथा अवार्ड जारी होने की प्रक्रिया की कमी का निर्धारण करने की अधिकारिता नहीं है।

अतः उपरोक्त विवेचन अनुसार प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। प्रार्थीगण को यदि अवार्ड राशि प्राप्त नहीं हुई हो तो वह सक्षम भूमि अवाप्ति अधिकारी के यहां चाराजोही कर सकते हैं।

आदेश आज दिनांक 30/12/24 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।




(रोहिताश्व सिंह तोमर)
जिला कलेक्टर, बारां
बारां (राब०)